विद्यालय - Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School (P13621) आवेदन क्रमांक : 25818

मान्यता कोड : RJSKR26605

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)SIKAR , राजस्थान

क्रमांक: 429 दिनांक 28/08/2018

सचिव

प्रबंध समिति

Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 25818 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School पता Principal Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School
Near Jeen Mata Road
Danta Teh Dantaramgarh Distt Sikar Rajasthan ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय DANTA ब्लॉक DANTARAMGARH को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	Hindi
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम किस कक्षा से किस कक्षा तक	1-12

अतिरिक्त विषय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Computer Science
कला संकाय	Political Science, History, Geography, English Literature, Drawing, Home Science, Computer Science
स्वीकृत अतिरिक्त विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Agriculture Science (Science Stream)
कला संकाय	Urdu Literature

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक द्वितीय, सीकर

विद्यालय - Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School (P13621) आवेदन क्रमांक : 25818

मान्यता कोड : RJSKR26605

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक द्वितीय, सीकर

विद्यालय - Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School (P13621) आवेदन क्रमांक : 25818

मान्यता कोड : RJSKR26605

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2 वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.. संभाग..................................।

5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रपत्र–2

कार्यालयःजिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

कमांकः–जिशिअ / प्राशि / सी / मान्यता / आरटीई / 2012 / 772 दिनांकः– 27/11/12 (164)

अध्यक्ष / प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

सरकार शिक्षा संस्थान उ० मा० वि० दाँता

विषयः– नियम 8–क के उप –नियम (4)के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 14.5.12 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में ,मै सरकार शिक्षा संस्थान उमा.वि. दांता (विधालय का नाम और पता) को 14.5.12 से 13.5.15 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय ,कक्षा–1 में या ,यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा किः–
   (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
   (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
   (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
   (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
   (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये,
   (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें,परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

APPENDIX - XV

CERTIFICATE OF RECOGNITION

DISTRICT EDUCATION OFFICER (HQ)
SECONDARY EDUCATION, SIKAR (RAJ.)
(Name & Address of the issuing authority)

No. 1504 Date: 16-01-2023

To

SANSKAR SHIKSHAN SANSTHAN
SEN. SEC. SCHOOL, DANTA (SIKAR)

(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules). बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009

Ref:

With reference to your application dated …………… and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to SANSKAR SHIKSHAN SANSTHAN SEN. SEC. SCHOOL, DANTA (SIKAR) (Name & Address of school) for **class I to VIII** standard for the period ……………. (no. of years) from the academic year ……………. to ……………. in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule राजस्थान निःशुल्क of ………………….. (State Act/ Rule). और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year ………………. to ………………. and is to be renewed at an interval of every ………… years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य (State Education Act/ Rules). बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of 25 (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

APPENDIX - XV

18. The school shall abided by the provisions of the निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this DEO SECONDARY EDUCATION, SIKAR (RAJ.) (Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the D.E.O./ Govt. (Concerned State Authority).

Seal & Signature of issuing authority ..... जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर

Name & Address of issuing authority DISTRICT EDUCATION OFFICER, SECONDARY EDUCATION SIKAR (RAJ.)

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**